DEPARTMENT OF PHYSICS
UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE

Maharana Bhupal Campus

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY

(NAAC Accredited A Grade State University
UDAIPUR – 313 001(INDIA)

Tel : 0294 – 2413955 (2243)

FAX: 0294-2423641

No. Phy/CS/2021/126 Dated :-24-07-2021

नीलामी की विशेष शर्ते

1. विक्रय किये जाने वाले सामान को इस कार्यालय में विधिवत आवेदन करने पर कार्यालय दिवस के समय कार्यालय में (जहां है व जिस हालत में रखा हुआ है) देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार की विडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी की अनुमति नही होगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु पूर्ण रूपेण भरा हुआ और विधिसम्मत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जायेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ विभागाध्यक्ष, भौतिक शास्त्र विभाग, उदयपुर के नाम देय रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा।
4. निर्धारित आवेदन शुल्क राशि 500/– नगद की विभागीय मूल रसीद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट, तथा धरोहर राशि 50,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ सील बंद लिफाफें में जमा कराना होगा।
5. पूर्ण रूपेण भरा हुआ नीलामी आवेदन पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2021 सायंकाल 5.00 बजे तक विभाग में जमा करा सकते है। 5.00 बजे बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। सील बन्द लिफाफे दिनांक 18 अगस्त, 2021 को दोपहर 12.00 बजे बाद नीलामीकर्त्ताओं के समक्ष खोले जायेगे।
6. आवेदन पत्र तथा बोली बिना कोई कारण बताये रोकने, स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के अधिकृत प्रभारी अधिकारी का होगा।
7. इस सम्बन्ध में किसी प्रकार से उत्पन्न विवाद को निपटाने एवं फैसला करने का पूर्ण अधिकार कमेंटी को होगा।
8. विक्रय किये जाने वाला सामान जहां भी है और जैसा भी है उसी हालत में वहीं से दिया जायेगा।
9. एतदर्थ गठित समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इसमें किसी भी वस्तु को नीलाम सूची से हटा दे या जोड़ दे।
10. विश्वविद्यालय के कोई भी शिक्षक, अधिकारी एवं विद्यार्थी नीलामी में भाग नहीं ले सकेगे।
11. नीलामी में भाग लेने वाला कोई भी आवेदनकर्त्ता अपनी तरफ से कोई भी अतिरिक्त और या प्रति शर्त (काउण्टर–कण्डीशन) किसी भी समय तथा परिस्थिति में नही रख सकेगा अन्यथा उसकी बोली निरस्त कर दी जायेगी, धरोहर राशि भी जब्त की ली जायेगी तथा आवश्यक हुआ तो उसके विरूद्ध अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
12. नीलामी के समय जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली एतदर्थ गठित समिति द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी उसको उसी समय तत्काल उस बोली की 25 प्रतिशत राशि नगद जमा करानी होगी। तथा शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी बोली के तीन दिन के अन्दर–अन्दर डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करानी होगी। जिस व्यक्ति के नाम से बोली छुटेगी उसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के खर्चे पर एवं उसी की अपनी व्यवस्था के अनुसार सामान उठाना होगा। अन्यथा तीन दिन के बाद धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त वे सभी जिनका उल्लेख राजस्थान राज्य सरकार के जनरल फाईनेस एण्ड अकाउण्ट्स रूल्स (जी.एफ.एण्ड आर) में किया गया है प्रभावशील रहेगा।

विभागाध्यक्ष

मैं/हम घोषणा करता हूॅ/करते है कि मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते एवं नियम पढ लिए है। ये मुझे /हमें मान्य है तथा मैं/हम वचनबद्ध हूॅ/है।

दिनांक.................

(रबर मोहर भी, हो तो)............................

हस्ताक्षर..

नाम...

यदि फर्म की तरफ से आवेदन हो तो

फर्म का नाम ....

....

पूरा पता (डाक का)...

....

टेलिफोन नम्बर..

निवास...